



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 660 राँची, सोमवार, 15 कार्तिक, 1945 (श०)
6 नवंबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

26 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-146/2018-24299 (HRMS)--श्रीमती लीली एनोला लकड़ा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-142/20), तत्कालीन तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-4023 दिनांक 24.10.2019 के माध्यम से उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक- 466 दिनांक 14.09.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निर्वाची पदाधिकारी-सह-पीठसीन पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए सेन्हा प्रखण्ड अन्तर्गत उप मुखिया के निर्वाचन के क्रम में झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 97 के तहत मतदान प्रक्रिया के दायित्व निर्वहन में चूक संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9432, दिनांक 27.11.2019 द्वारा श्रीमती लकड़ा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्रीमती लकड़ा के पत्र, दिनांक 06.01.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्रीमती लकड़ा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित किया गया कि उनके विरुद्ध गठित आरोप-पत्र का आधार मुख्यमंत्री जनसंवाद के अन्तर्गत जन शिकायत संख्या 2016-22424 दिनांक 03.02.2016 है, जिसमें आरोप है कि प्रत्याशी छोटे मुण्डा को चुनाव जिताने की वजह से अंचल अधिकारी द्वारा उक्त तरीका अपनाया गया है। उनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015, उप मुखिया के चुनाव हेतु दिनांक 13.01.2016 को अपने सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ सभी प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। उप मुखिया के पद पर छोटे मुण्डा की जीत के पश्चात् उनके द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र सौंपने के पश्चात् कुछ लोग आरोप लगाते हुए शोर मचाकर उनसे विवाद करने लगे, जिसपर उन्हें आयोग में जाने की टिप्पणी की। पूरी प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी भी हुई है ।

उसी तिथि को वार्ड सदस्य सुनीता देवी, किरण देवी, राजकुमार राम एवं बिरेन्द्र भगत द्वारा पुर्नमतदान कराने हेतु तत्कालीन उपायुक्त को आवेदन समर्पित किया गया। इस पर उपायुक्त एवं अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा रिकार्ड की गयी वीडियो ग्राफी के देखने के पश्चात् पुर्नमतदान की अनुमति नहीं दी गयी। बाद में मुख्यमंत्री जनसंवाद में दर्ज शिकायत का संज्ञान लेते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन वाद संख्या-22/2016 प्रारंभ की गयी। इस वाद के अभिलेख में अंकित है कि मुझे बार-बार नोटिस दी गयी है, जबकि उक्त पद पर रहते हुए उन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। स्पष्ट है कि उनके विरुद्ध साजिश के तहत उन्हें आरोपों से अंधेरे में रखकर एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। फलस्वरूप प्रपत्र 'क' का गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया है ।

श्रीमती लकड़ा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा गयी। समीक्षा में पाया गया कि चुनाव में गोपनीय भंग होने के कारण चुनाव की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था ।

अतः समीक्षोपरांत श्रीमती लीली एनोला लकड़ा, तत्कालीन तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती लीली एनोला लकड़ा, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	LILY ENOLA LAKRA JHK/JAS/121	श्रीमती लीली एनोला लकड़ा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-142/20), तत्कालीन तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
